न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 07 / 2023

प्रार्थिया	बनाम	अप्रार्थीगण
पांची देवी पत्नी मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल जिला नागौर।		1 तीजादेवी पत्नी हरेन्द्र जाट पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम नरादणा तहसील जायल, जिला नागौर। 2 शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा मुण्डवा, जिला नागौर। 3 शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा, तृतीय मंजिला रिजनल ऑफिस, रानी सागर कॉम्पलेक्स, जलजोग सर्कल जोधुपर । 4 ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डिडिया कलां, पंचायत समिति मुण्डवा।

उपस्थिति–

1 श्री सुमित मुण्डेल अधिवक्ता, प्रार्थिया की ओर से
2 श्री हरदेव राम, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3 श्री रमेश ढाका, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय दिनांक 08.09.2025

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा बुक संख्या 10 के पट्टा संख्या 34(44) जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.02.2023 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थिया की निगरानी दिनांक 06.02.23 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री हरदेव राम अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 02 व 03 की ओर से श्री रमेश ढाका, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 04 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। प्रार्थिया ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा संख्या 34 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक एस. एल.–2 दिनांक 16.01.23 की फोटोप्रति, आईसीआईसीआई बैंक के नोटिस की फोटोप्रति, आईसीआईसीआई बैंक के Annexure "A" and Annexure "B" की फोटोप्रति, पांची के आधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत डिडिया कलां के पत्र दिनांक 23.08.24 की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने आईसीआईसीआई बैंक के नोटिस की फोटोप्रति, आईसीआईसीआई बैंक के Annexure "A" and Annexure "B" की फोटोप्रति व अखबार की कटिंग्स की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पत्र दिनांक 02.03.2023 द्वारा उक्त पटटे से संबंधित मूल रिकार्ड ग्राम पंचायत डिडियाकलां मे उपलब्ध होना नही बताया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थिया ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– ग्राम नरादणा, ग्राम पंचायत डिडिया कलां, पंचायत समिति मूण्डवा की आबादी क्षेत्र में एक रहवासी मकान प्रार्थी के पति मंगलाराम पुत्र शिम्भूराम जाति जाट निवासी नराधना का पटटा सुद स्वामित्व का मकान स्थित रहा है, उक्त मकान का पटटा संख्या 34 बुक संख्या 10 का ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पति के नाम दिनांक 06.02.17 को संकल्प संख्या 02 दिनांक 06.02.2017 की अनुपालना में दिनांक 01.03.2017 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया, उक्त पटटा उप पंजीयक जायल के यहां रजिस्टर्ड दिनांक 12.05.17 को पंजीबद्व करवाया गया। उक्त पटटा में यह भी दर्शाया गया कि उक्त पटटा आवासीय पटटासुद सम्पति ग्राम नराधना के खसरा नम्बर 501 में स्थित है जिसके पडौस व माप निम्न है– उत्तर दिशा में आम रास्ता व निकाल, दक्षिण दिशा में धीसाराम पुत्र शैतानराम का मकान, पूर्व दिशा में हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम का मकान तथा पश्चिम दिशा में जयराम पुत्र शिम्भूराम का मकान है। उपरोक्त पडौस बीच की निम्न माप की भूमि का पटटा प्रार्थी के पति के नाम जारी हुआ, जिस पटटा सुद भूमि का माप उत्तर दिशा 22.5 फुट, दक्षिण दिशा 22.5 फुट पूर्व दिशा में 28.5 फुट व पश्चिम में 28.5 फुट लम्बाई माप का है जिसका कुल क्षेत्रफल 641.25 वर्गफुट है। उक्त पटटा प्रार्थी के पति मंगलाराम पुत्र शिम्भूराम जाति जाट निवासी नरादना के नाम जारी किया गया जो आवासीय भूमि का पटटा रजिस्ट्रेशन उप पंजीयक कार्यालय जायल में रजिस्टर्ड किया गया।

08/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

करने व शुद्धिकरण करवाने की अधिकारिणी ... ने अप्रार्थी संख्या 1 से

उक्त पटटा प्रार्थी के पति मंगलाराम के नाम पटटा संख्या 34 होते हुए भी उक्त पटटे को पटटा संख्या में परिवर्तन कर पटटा संख्या 44 दर्शाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र हरेन्द्र पुत्र मंगलाराम जाति जाट ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से ऋण नवीन रेडीमेड मकान संख्या 256, कलेवदों का बास, ग्राम नराधना का दर्शाकर ऋण प्राप्त कर लिया तथा प्रार्थी के पति के नाम पटटा सुद भूमि को रहन कर दिया, जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 के ऑथेराईज ऑफीसर सुभाष माथुर कॉन्टेक्ट नम्बर 8529055908 के द्वारा पत्र प्रार्थी को देने पर उक्त तथ्यों की जानकारी हुई एवं पत्र हाल ही में प्राप्त के अनुसार ज्ञात हुआ जिससे यह निगरानी जानकारी से अन्दर मियाद निम्न बिन्दुओ पर प्रस्तुत की गई है।

2(2)–न्याय के सामान्य सिद्वान्तों के अनुसार पटटा संख्या 34 प्रार्थी के पति के नाम होते हुए भी उक्त पटटे को पटटा संख्या 44 दर्शाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने ऋण राशि देने में भारी अनियमितता की है जबकि ग्राम पंचायत डिडिया कलां पचायत समिति मुण्डवा के रेकॉर्ड के अनुसार उक्त पटटा संख्या 44 मिसल व प्रस्ताव आदि की नकलें मांगी, जिससे ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत डिडिया कलां के पत्र क्रमांक 8पीएल–2 दिनांक 16.01.2023 के अनुसार पटटा संख्या 44 मिसल व प्रस्ताव आदि का रेकॉर्ड पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही है, जिस पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी ने हस्ताक्षर सूचना दी इस प्राकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिकारी सुभाष माथुर नो ऑथेराईज ऑफीसर के पद का दुरूपयोग कर लोन दस्तावेज की सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पटटा संख्या 44 ग्राम नराधना तहसील जायल के ऋण दस्तावेज तैयार करने में भारी अनियमितता की है, जिससे पटटा संख्या 44 के बाबत में कार्यवाही काबिल खारिज किये जाने के हैं एवं पटटा संख्या 44 ग्राम पंचायत डिडिया कलां के ग्राम नराधना के प्रार्थी के रहवासी मकान के हस्तक्षेप व दखल, कुर्की आदि की कार्यवाही करने व कराने से रोका जाना न्यायसंगत है।

2(3)– अप्रार्थी संख्या 1 के पति हरेन्द्र ने ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पचांयत डिडिया कलां एवं सरपंच आदि से मिलावट कर पटटा संख्या 44 का रेकॉर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होते हुए भी ग्राम नराधना की आबादी भूमि में पटटा कूटरचित व फर्जी तौर पर तैयार कर उक्त पटटा से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से नवीन रेडीमेड नराधना के नाम से हरेन्द्र ने ऋण प्राप्त कर पटटा संख्या 44 ग्राम नराधना तहसील जायल का रहन रखना बताया जबकि इस तरह का कोई पटटा ग्राम पंचायत के रेकॉर्ड में उपलब्ध ही नहीं रहा है। साथ ही पटटे की आवश्यक खानापूर्ति के लिए कोई मिसल खोली गई हो अथवा पंचायत द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो कार्यवाही नहीं की गई। पटटा संख्या 44 के रहन की कार्यवाही सारी ही पोशिदा तौर पर फर्जी व बनावटी की गई है एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिकारियों ने मिलावट कर लोन एग्रीमेंट तैयार कर लिए जिससे भी पटटा संख्या 44 की कार्यवाही काबिल निरस्त की जाने के है।

3– अप्रार्थी संख्या 02 व 03 ने बहस करते हुए बताया कि–

3(1)–प्रार्थिया द्वारा झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर आपस में मिलीभगत कर अनुचित लाभप्राप्त करने की नियत से यह निगरानी याचिका न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

3(2)–मिन अप्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पति एवं प्रर्थिया के पुत्र हरेन्द्र जाट को ओडी. लिमिट रूपये 11,00,000/– स्वीकृत की गयी थी। उक्त ऋण की अदायगी में चूक कारित किए जाने पर बैंक द्वारा अपनी ऋण की समस्त बकाया राशि की वसूली हेतु फरफेसी अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही कर दी तथा बैंक द्वारा अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग पत्र जारी किए जिसकी प्रार्थिया को बखूबी जानकारी है।

3(3)–प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलीभगत कर तथा मिन अप्रार्थी की वसूली की कार्यवाही से बचने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर उक्त निगरानी न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है जो कि खारिज किये जाने योग्य है।

3(4)–मिन अप्रार्थी बेंक अपनी बकाया ऋण की वूसली के लिए ऋणी द्वारा उसके पास रह रखी गयी संपत्ति पटटा नम्बर 44, ग्राम नराधना, तहसील जायल, जिला नागौर के संबंध में निष्पादित किए गए ऋण दस्तावेजात के अनुसार वसूली कार्यवाही करने हेतु सक्षम व अधिकृत है।

3(5)–मिन अप्रार्थी बैंक द्वारा समस्त ऑपचारिकतायें पूर्ण कर ऋणी को ऋण स्वीकार किया है तथा उक्त ऋण की अदायगी नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थी बैंक बतौर सिक्योर्ड क्रेडिटर प्रश्नगत संपत्ति से अपनी वकाया वसूली की अधिकारी है तथा इस हेंतु मिन अप्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम 2002 के प्राावधानों के तहत वसूली कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। अतः निगरानी विधिबाधित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

3(6)–प्रार्थिया का कथन पूर्णतया गलत एवं आधारहीन है कि उक्त पटटा कूटरचित व फर्जी है। मिन अप्रार्थी के अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार की मिलीभगत कर ऋण अनुबंध इत्यादि तैयार नहीं किये गये है। मिन अप्रार्थी की ओर से नोटिस प्रेषित किए जाने के पश्चात ही प्रार्थिया द्वारा मिन अप्रार्थी संख्या 1 से साज कर उक्त निगरानी याचिका प्रस्तुत की है जो सरसरी तौर पर खारिज किए जाने योग्य है।

08/9/25

अपर कलक्टर, नागौर

3(7)–प्रार्थिया निगरानी की आड में पटटा आदेश को खारिज करने व शुद्विकरण करवाने की अधिकारिणी नहीं है व ना ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 1 से दुरभि संधि कर मिन अप्रार्थी बैंक की बकाया ऋण की अदायगी से बचने हेतु उक्त निगरानी प्रस्तत की है जो खारिज किए जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थिया द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डिडिया कलां द्वारा बुक संख्या 10 के पट्टा संख्या 34(44), को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। निगरानीकर्ता का दायित्व था कि जिस पटटे को न्यायालय में चुनौती दी है उस पटटे की प्रमाणित प्रति, पंचायत के प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति, मिसल की प्रमाणित प्रति तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति न्याायलय में पेश करते, परन्तु निगरानीकर्ता ने ऐसा कोई भी दस्तावेज की ना तो प्रमाणित प्रति एव ना ही फोटोप्रति न्यायालय में पेश की, जिससे ग्राम पंचायत ने पटटा नियमानुसार जारी किया है अथवा नहीं, के संबंध में अंतिम निष्कर्ष तक पहुचना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/9/14

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर